मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 23, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. ढालसिंह बिसेन, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा-35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 की धारा-10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-7-2003-सात-2ए, दिनांक 24 फरवरी, 2004; तथा

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8-2003-सात-शा. 6, दिनांक 5 मार्च, 2004,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, प्रदेश के शिक्षा कर्मियों, संविदा शिक्षकों एवं गुरुजी को कई माह के वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य, पंधाना क्षेत्र के कावेरी नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

5. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 जुलाई, 2004